भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4736

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

संपरीक्षकों के लिए निर्देश

4736. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए संपरीक्षकों को आदेश दिया है कि वे कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, आंतरिक नियंत्रण तथा बकाया राशियों में किसी भी त्रुटि को उजागर करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा देश में समग्र कारपोरेट शासन मानकों को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): जी हां। सरकार ने कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किए हैं जिसमें संबंधित कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में देखे गए/रिपोर्ट किए गए कपट, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संपत्ति सूची का भौतिक सत्यापन और वित्तीय संस्थानों या बैंकों को देय का पुनः भुगतान सहित विभिन्न मामलों पर विवरण शामिल करना अपेक्षित है। इस विषय में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mca.gov.in पर उपलब्ध कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 के पैरा 3 के उप-पैरा 3(ii)(क), (iv),(ix) और (xii) विशेष रूप से संगत है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया है, में विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनका लक्ष्य भारत में कंपनियों के कारपोरेट शासन को सुदृढ़ करना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड और उसकी समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के उत्तरदायित्व में वृद्धि भी हुई है, हितधारकों को अधिक प्रकटीकरण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित

करने के लिए कठोर नियम और वृहत निवेशक सुरक्षा स्तर। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2015 में भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) को भी अधिसूचित किया गया है और आशा है कि इससे बेहतर कारपोरेट शासन में सहयोग मिलेगा।

*****